



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 201-डीएस-आ०प्र०(२३) / पाकालि / 2018

दिनांक: 12 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों को लेखाधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करते हुए स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/निगम से स्थानान्तरित कर स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित कार्यालय/निगम में तैनात/आवण्टित किया जाता है। उक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त होंगे तथा ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे:-

| क्रम सं० | नाम(सर्वक्री) / सम्प्रेक्षा संख्या/गृह जनपद / सेवानिवृत्ति की तिथि | वर्तमान पद एवं तैनाती का कार्यालय/निगम | लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय/ आवण्टित निगम |
|----------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | जयेन्द्र देव गुप्ता / जे-४१९/बरेली/ 31.08.2025 | सहायक लेखाधिकारी, मविविनिलि, लखनऊ | दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 2. | कर्हैया लाल /के-६११/बस्ती/ 31.03.2026 | सहायक लेखाधिकारी, केन्द्रीय लेखा कार्यालय सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ | केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ |

- लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो रहे सहायक लेखाधिकारी के वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम का नाम यथा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है। यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में आदेश में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
- निगम को आवण्टित कार्मिक की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक लेखाधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय। ऐसे अधिकारी, जो सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या ४२५-ज०श० एवं प्र०सु०-१/पाकालि/२०१७-१००(१)प्र०सु०/९२ दिनांक १६.०६.२०१७ के बिन्दु संख्या १०(i) में निहित व्यवस्थानुसार, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- ऐसे अधिकारी, जो नव तैनाती कार्यालय/निगम में कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या ४२५-ज०श० एवं प्र०सु०-१/पाकालि/२०१७-१००(१)प्र०सु०/९२ दिनांक १६.०६.२०१७ के बिन्दु संख्या १०(ii) में निहित व्यवस्थानुसार, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित कार्मिक की कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 201-डीएस-आप्र०(2अ)/पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी / मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/कोस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
6. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
8. उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

(अमर्ण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)